

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p align="center">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p align="center">.....के.प.न.....बनाम.....ह.न.प्र.प.म.....</p> <p align="center">मु.नं.- ०२/२३ किस्म - (दावा)</p>	<p align="center">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>फावली प्रवागमर दिनांक 10.03.26 को पेश हो।</p> <p align="right">[Signature]</p> <p>10.03.26 फावली पेश हुई। वकील उमय पदा उपस्थित। वकील वकी ने प्र.प.न 09R7 पर का जवाब पेश नहीं किया। समझ चाहा। जवाब में अलिम अपसद दिया जाता है। फावली वास्ते जवाब प्र.प.न 09R7 पर दिनांक 02.04.26 को पेश हो।</p>	
<p align="center">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>2.4.26 अलिम अपसद द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका फावली प्रवागमर दिनांक 16.4.26 को पेश हो। [Signature]</p>	
<p>16.4.26 फावली पेश हुई। चमकराम को वार-2 भावाज दिलवाई गई। उमय पदा अनुपस्थित। फावली लम्बे समय से प्र.प.न 09R7 पर के जवाब में लांचित है। वादीगण इस के वार-2 निर्देशों के बावजूद भी वादीगण द्वारा प्र.प.न का जवाब पेश नहीं दिया गया एवं निर्देशों को भंगे लना भी गई। इसके स्वयं है कि चमकराम फावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है इसलिए फावली फसलगत को अदम हजरी व अदम फसली में खारिज की जाती है। फावली फसल शुमार होकर दाखिल करा हो। [Signature]</p> <p align="center">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	